



महालेखाकार का कार्यालय (लेखा एवं हक)

आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद - 500 004.

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A & E)

ANDHRA PRADESH, HYDERABAD - 500 004.

Pension14/I/10-11/

दिनांक / Dated :

Date: 16 .07.2010

To
The Director of Treasuries and Accounts,
Hyderabad.

Sir,

Sub : Forwarding of Special Seal Authority regarding

1. revision of Pre-01.09.2006 State Pensioner's family pensioners etc Grant of Additional quantum of family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.
2. Regarding increase in amount of Award of pension given to Freedom Fighters and their dependents w.e.f 15.8.2009.
3. Regarding increase in amount of Award of pension given to Freedom Fighters and their dependents w.e.f 01.04.2010 – Reg.

Ref : Office of the Accountant General (A&E), Rajasthan, Jaipur Special Seal Authority No:

1. PA/S.S/State/2008-09/243, Dt. 15.4.2010.
2. PA/F.F(P) State/296, Dt. 19.4.2010.
3. PA/FF (P) State/801 dt. 5.5.2010

I am herewith enclosing a Special Seal Authority issued by the Principal Accountant General (A&E), Rajasthan, Jaipur in the reference cited. The same is being placed in this office official website (www.ag.ap.nic.in). You are requested to direct all the DTOs to download the orders and take necessary action at the earliest to minimise hardship to the pensioners.

Yours faithfully,

Vivek Rame Kurni
Accounts Officer 16/7/10

Copy to:
Joint Director, Pension Payment Office,
Hyderabad for information and necessary action.

052/15/10

70803
26/4/10

26 APR 2010
आ. प्र. हैदराबाद-500 008
A P HYDERABAD-500 008

पंजीकृत डाक द्वारा एवं विशेष मुद्रा प्राधिकार के अंतर्गत

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:- पी.ए/वि.मु./स्टेट/2008-09/ 243

दिनांक:- 15/4/10

महालेखाकार (लेखा एवं हक)

आन्ध्र प्रदेश
हैदराबाद

26/4/10

विषय:- Revision of Pre-01.09.2006 State Pensioner's family Pensioners etc Grant of Additional quantum of family Pension to family pensioners of the age of 80 years and above.

महोदय,

राजस्थान सरकार वित्त विभाग (नियम खण्ड) द्वारा जारी आदेश F 12(3)/FD (Rules)/2008 दिनांक 30/6/09 की प्रतियाँ संलग्न की जा रही है ।

आपसे अनुरोध है कि यह आदेश अपने क्षेत्राधिकार में समस्त कोषाधिकारी/पेंशन भुगतान अधिकारियों को भिजवाने का श्रम करें तथा उनके इस आशय का उचित निर्देश दें कि राजस्थान सरकार के पेंशन भोगियों के संबंध में निर्देशानुसार कार्यवाही करें ।

आपके कार्यालय में समस्त कोषाधिकारियों/पेंशन भुगतान अधिकारियों को प्रसारित किये गये आदेशों की प्रति, निदेशक पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान, जयपुर को सीधे भी भिजवाने का श्रम प्रति, आवश्यक प्रतियाँ अपने स्तर से करवाने की व्यवस्था करें ।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

लेखाधिकारी/पी.ए
दिनांक:-

क्रमांक:- पी.ए/वि.मु./स्टेट/2008-09/

- (1) महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान जयपुर ।
- (2) सचिव, महालेखाकार (लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
- (3) आई.टी.ए एस अनुभाग
- (4) टी.आई सैल
- (5) पी.एफ आर. अनुभाग
- (6) निदेशक पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग जयपुर को सूचनार्थ
- (7) विशेष सचिव वित्त विभाग (नियम खण्ड) सचिवालय, जयपुर को सूचनार्थ ।
- (8) अध्यक्ष भारत पेंशन समाज पो.बा.नं. 307 जयपुर एक्सटेन्सन नई दिल्ली 110014

लेखाधिकारी/पी.ए

**GOVERNMENT OF RAJASTHAN
FINANCE DEPARTMENT
(RULES DIVISION)**

No.F.12(3)FD(Rules)/2008

Jaipur, dated : **30 JUN 2009**

MEMORANDUM

Sub. :- Revision of pre-01.09.2006 State Pensioners / Family Pensioners etc. - grant of additional quantum of family pension to family pensioners of the age of 80 years and above.

State Government vide Finance Department Memorandum No. F.12(3)FD(Rules)/2008 dated 12.09.2008 have allowed additional quantum of family pension to the family pensioners who have attained/ attain the age of 80 years and above on or after 01.01.2007.

It has been brought to the notice of the Government that in the absence of age / date of birth of family pensioners in the Family Pension Payment Orders, it is not possible to authorise the additional amount of family pension to the family pensioners who have already crossed the age of 80 years and above and who may cross the age of 80 years in future.

As per the provisions contained in the Rajasthan Civil Services (Pension) Rules, 1996, each Government servant has furnished the details of family in his / her application for grant of pension. Similarly, in the case of death while in service, the concerned family pensioner has also furnished the details regarding date of birth / age. Accordingly, age / date of birth as recorded in the Pension Application Form of the employee / family pensioner, may be treated as valid and be used for the purpose of grant of additional amount of family pension.

In case, the date of birth is not available, but the year, and month of birth is available on record, the 1st July or the 16th of the month, respectively may be treated as date of birth. Similarly, in cases where only approximate age is available on record, date of birth may be reckoned by deducting the number of years representing the age from the date of submission of details of family members and age may be determined.


In cases, where record of the pensioners / family pensioners has been destroyed by the Pension & Pensioners' Welfare Department after obtaining approval at the competent level, the age for the aforesaid purpose may be determined on the basis of following documents: -

- (i) Date of birth of the spouse might have been mentioned in the service record of the employee or it is possible that record of the pensioner / family pensioner is available in the department where from he / she has retired / died while in service. Efforts may be made to obtain the proof of date of birth from the concerned Head of Office.
- (ii) Where the family pensioner is educated, he / she may be asked to furnish the certificate of date of birth from the concerned School / Board, as the case may be.

- (iii) Documentary evidence viz. Family Pensioner's Medical Diary, Passport, PAN Card, Driving Licence, Voter Identity Card issued by the Election Commission, Ration Card or any other legal documents issued before the date of Memorandum i.e. 12.09.2008, may be obtained from the family pensioners. If there is any variation in the date of birth / age in the documents, younger date of birth may be used as date of birth for the aforesaid purpose. In such cases, the family pensioner will have to submit an affidavit in support of his / her correct date of birth.
- (iv) In the absence of any of the documents mentioned above, claim for determination of age / date of birth may be put up to the concerned Sub-divisional Magistrate by the family pensioner for verification and date of birth may be admitted on that verification.

The date of birth determined / ascertained as stated above, may be conveyed by the Director, Pension & Pensioners' Welfare Department to the concerned Treasury Officer (Pension), who shall enter the date of birth of family pensioners in the both halves of Family Pension Payment Orders and authorise additional amount of family pension as per rules.

In case of existing pensioners, the date of birth of his / her spouse is available in the pension file of the pensioner. the Director, Pension & Pensioners' Welfare Department shall communicate the date of birth of the spouse to the Treasury Officer (Pension) for entries in both halves of the Pension Payment Orders of pensioners.


(Deepak Upreti)

Secretary to the Government

Copy forwarded to -

1. All Additional Chief Secretaries / Principal Secretaries/Secretaries/Special Secretaries to the Government.
2. All Special Assistants / Private Secretaries to Ministers / State Ministers.
3. P.S. to Chief Secretary.
4. Accountant General Rajasthan, Jaipur (200 copies).
5. All Heads of the Departments.
6. Director, Treasuries & Accounts, Rajasthan, Jaipur with 100 spare copies for sending to all Sub-Treasury Officers.
7. Director, Pension & Pensioners' Welfare Department, Rajasthan, Jaipur.
8. Deputy Director (Statistics), Chief Ministers' Office.
9. All Treasury Officers.
10. All Sections of the Secretariat.
11. Administrative Reforms (Gr.7) with 7 copies.
12. Vidhi Rachana Sanghathan, for Hindi translation.
13. Analyst-cum-programmer, Finance Department.

Copy also to the -

1. Secretary, Rajasthan Legislative Assembly, Jaipur with 20 extra copies for Subordinate Legislative Committees.
2. Registrar General, Rajasthan High Court, Jodhpur / Jaipur.
3. Secretary, Rajasthan Public Service Commission, Ajmer.
4. Secretary, Lokayukta Sachivalaya, Rajasthan, Jaipur.


(Aditya Pareek)

Deputy Secretary to the Government

70804
26/4/10

124 APR
ऑ. प्र. हैदराबाद-400 008
HYDERABAD-500 004

रजिस्टर्ड

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:- पेंशन प्राधिकृति/एफ.एफ.(पी) राज./ 296

दिनांक:- 19/4/10

सेवामें,

महालेखाकार (लेखा व हक.),

आंध्र प्रदेश, हैदराबाद.

विषय:- दिनांक 15.8.2009 से स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि के संबंध में ।

महोदय, *Regarding increase in amount of Award pension given to Freedom Fighters and their dependents w.e.f. 15-8-2009.*

राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक प. 4 (4) सा.प्र./6/2008 दिनांक 19.8.2009 द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन दिनांक 15.8.2009 से वर्तमान में मिल रही रुपये 6600/- (चिकित्सा भत्ता सहित) प्रतिमाह से वृद्धि कर रुपये 8000/- (चिकित्सा भत्ता सहित) प्रतिमाह दिया जाना स्वीकृत किया है ।

उक्त आदेशों की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

श्री 18/11/10

लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

क्रमांक:- पेंशन प्राधिकृति/एफ.एफ.(पी) राज./

दिनांक:-

1. प्रधान महालेखाकार (ले.प.) राजस्थान, जयपुर ।
2. शाखाधिकारी प्रशासन I,II, आई.टी.ए.एस., टी.मए., टी.एम.सैल, गार्ड फाइल ।
3. श्रीमती नसीब कौर पत्नि स्व.श्री उजागर सिंह, म.न.42-बी, सेक्टर 32-ए, चण्डीगढ़ ।

लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांक: प0 4(4)साप्र/6/2008

जयपुर, दिनांक 19/8/2009

निदेशक,
पेंशन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:— स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 22.8.2008 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अनुसार देय सम्मान पेंशन राशि 6000/- रुपये प्रतिमाह की गई थी। साथ ही इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 3(6)सा.प्र. 6/2007 दिनांक 13.9.2007 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को रुपये 600/- प्रतिमाह चिकित्सा भत्ता पेंशन के साथ अलग से देय था। इस प्रकार स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को कुल रुपये 6600/- प्रतिमाह भुगतान किये जाते हैं। इस राशि को निदेशानुसार दिनांक 15 अगस्त, 2009 (स्वतंत्रता दिवस) से बढ़ाकर 8000/- रुपये (अक्षरे आठ हजार रुपये) (चिकित्सा भत्ता सहित) प्रति माह किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय बजट मद 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60- अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से. 24- पेंशन और उपादान, (आयोजना भिन्न) से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग की आई. डी. क्रमांक 160901306 दिनांक 30.7.2009 के अनुसरण में जारी की जाती है।

भवदीय,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है:-

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान से बाहर भुगतान प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को बढी हुई राशि के भुगतान की व्यवस्था हेतु।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान।
6. निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त(व्यय-2/बजट डिविजन) विभाग।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, जयपुर।
10. अध्यक्ष स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जयपुर।

73705
13/5/10

13 MAY 2010
आ. प्र. हैदराबाद-500 006.
A.P. HYDERABAD-500 004.

रजिस्टर्ड

Pr. A-4 (A+E) Rajasthan Japur

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक.) राजस्थान, जयपुर ।

क्रमांक:- पेंशन प्राधिकृति/एफ.एफ.(पी) राज./ 801

दिनांक:- 5/5/10

विशेष मुद्रा प्राधिकृति के अंतर्गत

सेवामें,

महालेखाकार (लेखा व हक.),
आ-प्र 952, हैदराबाद

विषय:- दिनांक 01.04.2010 से स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि के संबंध में ।

Regarding increase in amounts of Award pension given to Freedom
महोदय, fighters and their dependents w.e.f. 01-04-2010.

राजस्थान सरकार, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-6) विभाग, जयपुर ने उनके पत्र क्रमांक प. 4 (4) सा.प्र./6/2008 दिनांक 16.04.2010 द्वारा स्वतन्त्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन दिनांक 01.04.2010 से वर्तमान में मिल रही रुपये 8000/- (चिकित्सा भत्ता सहित) प्रतिमाह से वृद्धि कर रुपये 10,000/- (चिकित्सा भत्ता सहित) प्रतिमाह दिया जाना स्वीकृत किया है ।

उक्त आदेशों की प्रति पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

21/5/10

लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

क्रमांक:- पेंशन प्राधिकृति/एफ.एफ.(पी) राज./

दिनांक:-

1. प्रधान महालेखाकार (ले.प.) राजस्थान, जयपुर ।
2. शाखाधिकारी प्रशासन I,II, आई.टी.ए.एस., टी.एम., टी.आई.सैल, गार्ड फाइल ।
3. श्रीमती नसीब कौर पत्नि स्व.श्री उजागर सिंह, म.न.42-बी, सेक्टर 32-ए, चण्डीगढ़ ।

honorary

Increase of amount of pension to be given to
the freedom fighters & their dependents.

लेखाधिकारी/पेंशन प्राधि.

क्रमांक: प0 4(4)साप्र/6/2008

जयपुर, दिनांक 16.4.2010

निदेशक,
पेंशन विभाग,
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को दी जाने वाली सम्मान पेंशन राशि में वृद्धि किये जाने बाबत।

महोदय,

इस विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 19.8.2009 द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों को राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन नियम, 1959 के अन्तर्गत वर्तमान में राज्य मद से देय सम्मान पेंशन राशि रुपये 8,000/- (चिकित्सा भत्ता सहित) को निदेशानुसार दिनांक 1.4.2010 से बढ़ाकर रुपये 10,000/- (अक्षरे दस हजार मात्र) (चिकित्सा भत्ता सहित) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष के बजट मद 2235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम-107-स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन योजना (01) स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके आश्रितों आदि को पेंशन सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से, 24--पेंशन एवं उपादान, (आयोजना भिन्न) से वहन किया जावेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-2) विभाग द्वारा उनकी आई. डी. क्रमांक 161000304 दिनांक 1.4.2010 पर दी गई सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।


भवदीय,



शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान, जयपुर को 100 अतिरिक्त प्रतियों सहित।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त जिला कलेक्टर, राजस्थान, जयपुर।
6. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2/बजट डिवीजन) विभाग।
8. समस्त कोषाधिकारी, राजस्थान, जयपुर।
9. वरिष्ठ लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग वित्त विभाग से अतिरिक्त बजट प्रावधान की कार्यवाही कराने हेतु (नोट शीट 89-99/एन तक संलग्न)।
10. अध्यक्ष, स्वतंत्रता सेनानी संगठन, जयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।


16/4/2010
शासन उप सचिव